GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 608 TO BE ANSWERED ON 01.12.2021

MERGER OF SERVICES OF RAILWAYS

608. SHRI SHANMUGA SUNDARAM K.: SHRI VELUSAMY P.:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) the Government has decided to merge eight difference services of Railways to create one single service clubbing all the services into one;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the basic criteria to decide the seniority of the different services and the steps taken to maintain uniform seniority in the combined services;
- (d) the estimated time to be taken to merge all the services and the constitution of Railway Board;
- (e) whether the Government is having any proposal to bring non-railway officers in the Railway Board; and
- (f) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS & INFORMTION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (d) Cabinet has approved, creation of a new Group 'A' Central Service called Indian Railway Management Service (IRMS), which is at the stage of working out modalities.

(e) & (f) At present, the following posts of Railway Board are filled up, by non-railway officers, either on deputation basis or against encadred post of the respective Ministries:-

S.No.	Name of Post
1.	Director General, Railway Protection Force (Indian Police Service)
2.	Director, Vigilance Police (Indian Police Service)
3.	Additional Director General/Public Relations (Indian information Service)
4.	Senior Economic Advisor (Indian Economic Service)
5.	Economic Adviser (Indian Economic Service)
6.	Director, Economic Unit (Indian Economic Service)
7.	Deputy Director, Economic Unit (Indian Economic Service)
8.	Legal Adviser (Indian Legal Service)

भारत सरकार रेल मंत्रालय

लोक सभा 01.12.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 608 का उत्तर

रेल सेवाओं का विलय

608. श्री के. षणमुग सुंदरम: श्री पी. वेलुसामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) सरकार ने सभी सेवाओं का विलय करते हुए एकल सेवा बनाने के लिए रेलवे की आठ अंतर सेवाओं को मिलाने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विभिन्न सेवाओं की वरिष्ठता तय करने के लिए बुनियादी मानदंड क्या हैं और संयुक्त सेवाओं में एक समान वरिष्ठता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) सभी सेवाओं के विलय और रेलवे बोर्ड के गठन में लगने वाला अन्मानित समय क्या है;
- (ड) क्या सरकार के पास रेलवे बोर्ड में रेलवे से इतर अधिकारियों को लाने का कोई प्रस्ताव है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): मंत्रिमण्डल ने भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के नाम से नई समूह 'क' केन्द्रीय सेवा के सृजन को अनुमोदित कर दिया है, जो इसके तौर-तरीके निर्धारित करने के चरण में है।

(ङ) और (च): वर्तमान में, रेलवे बोर्ड के निम्निलिखित पदों को गैर-रेलवे अधिकारियों द्वारा या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर या संबंधित मंत्रालयों के संवर्गीकृत पदों के तहत भरा जाता है:-

क्र. सं.	पद का नाम
1.	महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल (भारतीय पुलिस सेवा)
2.	निदेशक, सतर्कता पुलिस (भारतीय पुलिस सेवा)
3.	अपर महानिदेशक/जन संपर्क (भारतीय सूचना सेवा)
4.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)
5.	आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा)
6.	निदेशक आर्थिक इकाई (भारतीय आर्थिक सेवा)
7.	उप निदेशक, आर्थिक इकाई (भारतीय आर्थिक सेवा)
8.	विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा)
